

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी
हुए

.....प्रियराम बनाम.....डेकार.....

मु.नं.- १२/०२ किस्म - इत्या

प्रतिवादी सं. ०९ के कायमी मुकाम प्रा.पञ एवं एवं प्रति
सं. ०६, ०७, ०८, ११ की तामील रजि. डाक रसीड पेश
नहीं की। अतः कायमी मुकाम प्रा.पञ एवं डाक रसीड
प्रतिपार्थ रूप से पेश हो। पगावली वाले कायमी
मुकाम प्रा.पञ कायमी सं. ०९ एवं तलवी प्रतिवादी
सं. ०६, ०७, ०८, ११ दिनांक ०९.१.२५ को पेश हो।

**उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)**

०९.१.२५ पगावली पेश हुई। वादी पक्षा को धार-२
आवाज दिलवाई गई। वादी पक्षा अनुपस्थित रहे।
पगावली लम्बे समय से कायमी मुकाम प्रा.पञ
एवं तलवी में लांबित है। वादीगण को धार
-२ निर्देशों के बावजूद भी वादीगण द्वारा ^{प्रतिवादी} कायमी
सं. ०९ के कायमी मुकाम एवं के प्रतिपार्थ सं. ०६,
०७, ०८, ११ के तलवाना समझन। वाकीले पेश नहीं
की गई एवं निर्देशों की मण्टेलना की गई।
इससे स्पष्ट है कि वादीगण पगावली में
कोई भी कर्पवही के लिए बच्युठ नहीं है।
इसलिए पगावली वादी की अडम हाजरी एवं
अडम पेशकी में खारिज की जाती है। पगावली
केसल शुमार होकर दाखिल इफतर हो।

**उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)**